फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी

बनाम

लहरी बाई मृत्तक के बजाएः–सुरेशचन्द्र पिता राजमल पारीक निवासी जाड़ाना

प्रकरण संख्या 24/2015 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाने पर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। लम्बे समय से प्रकरण में विकास अधिकारी, राशमी की ओर से किसी के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है प्रकरण में प्रभावी पैरवी हेतु विकास अधिकारी, राशमी को जरिये पत्रांक 248 दिनांक 27.05.2022, 547 दि. 29.09.2022 एवं 91 दि. 15.02.2024 से लिखे जाने के बावजूद भी इनकी ओर से किसी के द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थिति नहीं दी गई है तथा आज भी कोई उपस्थित नहीं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय आदेश की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	